



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241629
CG-DL-E-03012023-241629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]
No. 02]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 2023/पौष 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 2023/PAUSHA 12, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

तालिका में,-

- पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में, महाराष्ट्र के नीचे, क्रम संख्या 33 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को संबंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“34.	रॉस लाइफसाइंस लिमिटेड पंजीकरण सं. 65/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2022 प्लोट सं-96, सेक्टर-10, पीसीएनटीडीए, भोसरी, पुणे, महाराष्ट्र - 411026	जैविक, रासायनिक
35.	औडेंटिस लैब्स एंड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 66/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2022 आई-0029/जे-0030/31/32, अक्षर बिज़नेस पार्क, नवी मुंबई	जैविक, रासायनिक”

खैराने रोड, वाशी, नवी मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र – 400703	
--	--

2. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में, कर्नाटक के नीचे, क्रम संख्या 16 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को संबंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"17.	संभागीय खाद्य प्रयोगशाला, बेलगावी पंजीकरण सं. 81/एस/एफएसएसएआई/2022 वैक्सीन संस्थान परिसर, तिलकवाडी, बेलगाम, बेलगावी, कर्नाटक	रासायनिक
18.	संभागीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर पंजीकरण सं. 82/एस/एफएसएसएआई/2022 उमर खय्याम रोड, तिलक नगर, मैसूर – 570001, कर्नाटक	रासायनिक"

3. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में, बिहार के नीचे, क्रम संख्या 1 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को संबंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"2.	राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (विस्तार केन्द्र रक्सौल) पंजीकरण सं. 25/ई/एफएसएसएआई/2022 चंपारण (पूर्व), हरदिया कोठी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, बिहार	रासायनिक"

एस गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./527/2022-23]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी:

1. का.आ. संख्या 567 (ई), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
2. का.आ. संख्या 1595 (ई), दिनांक 15 मई, 2017;
3. का.आ. संख्या 1965 (ई), दिनांक 20 जून, 2017;
4. का.आ. संख्या 2316 (ई), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
5. का.आ. संख्या 3068 (ई), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
6. का.आ. संख्या 3279 (ई), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
7. का.आ. संख्या 4083 (ई), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
8. का.आ. संख्या 848 (ई), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
9. का.आ. संख्या 1516 (ई), दिनांक 28 मार्च, 2018;
10. का.आ. संख्या 2426 (ई), दिनांक 13 जून, 2018;
11. का.आ. संख्या 6207 (ई), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
12. का.आ. संख्या 1377 (ई), दिनांक 08 मार्च, 2019;
13. का.आ. संख्या 1722 (ई), दिनांक 08 मई, 2019;
14. का.आ. संख्या 2842 (ई), दिनांक 06 अगस्त, 2019;

15. का.आ. संख्या 3428 (ई), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
16. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
17. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
18. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 04 दिसम्बर, 2020;
19. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
20. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
21. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
22. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 जून, 2021;
23. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;
24. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 सितंबर, 2021;
25. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 08 अक्टूबर, 2021;
26. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021;
27. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 जनवरी, 2022;
28. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 24 मार्च, 2022;
29. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 अप्रैल, 2022;
30. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 मई, 2022;
31. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 07 जुलाई, 2022;
32. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 जुलाई, 2022;
33. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 सितंबर, 2022;
34. फा.सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 11 अक्टूबर, 2022;
35. फा.सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 18 अक्टूबर, 2022; और
36. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 दिसंबर, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2022

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'B' related to WESTERN REGION, under **Maharashtra**, after serial number 33, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"34.	Ross Lifescience Limited Reg. No. 65/W/FSSAI/2022 Plot No-96, Sector-10, PCNTDA, Bhosari, Pune, Maharashtra - 411026	Biological, Chemical
35.	Audentes Labs & Analytics Pvt. Ltd. Reg. No. 66/W/FSSAI/2022 I-0029/J-0030/31/32, Akshar Business Park, Navi Mumbai Khairane Road, Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra - 400703	Biological, Chemical"

2. In 'C' related to SOUTHERN REGION, under **Karnataka**, after serial number 16, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"17.	Divisional Food Laboratory, Belagavi Reg. No. 81/S/FSSAI/2022 Vaccine Institute Campus, Tilakwadi, Belgaum, Belagavi, Karnataka	Chemical
18.	Divisional Food Laboratory, Mysore Reg. No. 82/S/FSSAI/2022 Umar Khayyam Road, Tilak Nagar, Mysore - 570001, Karnataka	Chemical"

3. In 'D' related to EASTERN REGION, under **Bihar**, after serial number 1, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"2.	National Food Laboratory (Extension Center Raxaul) Reg. No. 25/E/FSSAI/2022 Champaran (East), Hardia Kothi, Raxaul, Muzaffarpur, Bihar	Chemical"

S GOPALAKRISHNAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Ext./527/2022-23]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide notification numbers:

1. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017;
2. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017;
3. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017;
4. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017;
5. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017;

6. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017;
7. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017;
8. S.O. number 848(E) dated the 19th February, 2018;
9. S.O. number 1516 (E) dated the 28th March, 2018;
10. S.O. number 2426(E) dated the 13th June, 2018;
11. S.O. number 6207 (E) dated the 12th December, 2018;
12. S.O. number 1377(E) dated the 08th March, 2019;
13. S.O. number 1722 (E) dated the 08th May, 2019;
14. S.O. number 2842 (E) dated the 06th August, 2019;
15. S.O. number 3428 (E) dated the 18th September, 2019;
16. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 13th February, 2020;
17. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 23rd July, 2020;
18. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 04th December, 2020;
19. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 12th January, 2021;
20. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10th February, 2021;
21. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10th March, 2021;
22. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 02nd June, 2021;
23. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 25th June, 2021;
24. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 02nd September, 2021;
25. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 08th October, 2021;
26. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 27th October, 2021;
27. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31st January, 2022;
28. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 24th March, 2022;
29. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 29th April, 2022;
30. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31st May, 2022;
31. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 7th July, 2022;
32. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 29th July, 2022;
33. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 13th September, 2022;
34. F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 11th October, 2022;
35. F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 18th October, 2022;
and
36. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 13th December, 2022.